संख्या-10/2015/498/49-3-2015-136/2013

प्रेषक,

शैलेष कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 23मार्च, 2015

विषय: उ0प्र0विधायन एवं शीतगृह संघ लि0 लखनऊ द्वारा किये जा रहे धोखाधड़ी एवं फर्जीफिकेशन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि शासनादेश संख्या-ई-8-157/दस-2013-1074/2012, दिनांक 12फरवरी, 2013 के अनुसार सहकारिता विभाग के अन्तर्गत उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, राजकीय निर्माण एजेन्सी है।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश विधायन एवं शीतग़ह संघ लि0 द्वारा अपने को राजकीय निर्माण एजेन्सी बताते हुये इस संस्था द्वारा विभिन्न जनपदों से बहुत से निर्माण कार्य आबंटित करा लिया गया है जबकि यह संस्था राजकीय निर्माण एजेन्सी अथवा सरकारी निर्माण एजेन्सी नही है।

3- अत- उत्तर प्रदेश विधायन एवं शीतगृह संघ लि0 द्वारा किये जा रहे धोखाधड़ी एवं फर्जीफिकेशन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर तत्काल कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

शैलेष कृष्ण
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 10/2015/498(1)/49-3-2015-136/2013, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- आयुक्त एवं निबन्धक,सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शैलेष कृष्ण
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in